


07-03-24 पत्रावली पेश। वकील वादी या वादी  
स्वयं उपस्थित नहीं। बार-बार आवाज लगावे  
पर भी उपस्थित नहीं हुए। अतः वादी का  
येकाद पत्र अदम पैरवी - अदम हाजिरी में  
इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।  
पत्रावली बाद तत्काल तम्बोल देकर दाखिल  
दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय  
में सुनाया गया।



  
(मनोज कुमार भीरवा)  
RoAoS